झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

भविष्य निधि निदेशालय

संकल्प

विषय :- झारखण्ड राज्य के एन०पी०एस० कर्मियों के लिए सरकारी अंशदान की राशि में वृद्धि करते हुए मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता के योग का 14 (चौदह) प्रतिशत राशि निर्धारित करने के संबंध में ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय प्रभाग), नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या 5/7/03 ई०सी०बी० दिनांक 22.12.2003 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित अंशदायी पेंशन योजना के सदृश्य राज्य सरकार के संकल्प संख्या वि०पे०-5-47/03-518/वि० दिनांक 09.12.2004 के द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर'2004 के प्रभाव से झारखण्ड राज्य की सेवा में नियुक्त कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना प्रवृत्त किया गया है । उक्त संकल्प की कंडिका(3) के द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर'2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र से मूल वेतन + अनुमान्य जीवन यापन भत्ते के कुल योग का 10 (दस) प्रतिशत राशि का कटौती करने तथा समतुल्य राशि नियोक्ता अर्थात झारखण्ड सरकार द्वारा अंशदान के रुप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है । उक्त प्रावधान के आलोक में ही अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना-एन०पी०एस०) के राज्य कर्मियों के मासिक वेतन से मूल वेतन+जीवन यापन भत्ता के योग का 10% राशि की कटौती कर्मी अंशदान के रुप में की जाती है तथा समतुल्य राशि सरकारी अंशदान के रुप में जमा की जाती है ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या 1/3/2016-पीआर दिनांक 31.01.2019 के द्वारा एन०पी०एस० से आच्छादित केन्द्रीय कर्मियों के लिए केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान की दर में वृद्धि करते हुए इसे कर्मी के वेतन एवं मंहगाई भत्ता के योग का 14% निर्धारित किये जाने का प्रावधान करते हुए उक्त प्रावधान दिनांक 01 अप्रैल'2019 से प्रभावी किया गया है । साथ ही, कर्मी अंशदान पूर्व की भाँति वेतन एवं मंहगाई भत्ता के योग का 10% ही रखा गया है ।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त एन०पी०एस० कर्मियों के लिए सरकारी अंशदान (नियोक्ता अंशदान) की राशि के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं -

क) एन०पी०एस० कर्मियों के लिए सरकारी अंशदान (नियोक्ता अंशदान) की राशि में वृद्धि करते हुए इसे कर्मी का मासिक मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता के योग का 14% राशि के समतुल्य निर्धारित किया जाता है ।

ख) सरकारी अंशदान की राशि नियमानुसार निकटतम पूर्ण रुपये में अभिव्यक्त की जायेगी ।

ग) उपर्युक्त प्रावधान दिनांक 01 जुलाई'2021 से प्रभावी होगा ।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 29.06.2021 की बैठक मद संख्या 02 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

ह०/-
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः-जी.पी.एफ.-43-107/19............ राँची, दिनांक.............

प्रतिलिपि - सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः-जी.पी.एफ.-43-107/19............ राँची, दिनांक.............

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः-जी.पी.एफ.-43-107/19............ राँची, दिनांक.............

प्रतिलिपि - माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/विभागीय पी.एम.यू. कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर upload करने हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः-जी.पी.एफ.-43-107/19...748/व०नि० राँची, दिनांक 08.07.2021

प्रतिलिपि - पी.एफ.आर.डी.ए. नई दिल्ली/एन.एस.डी.एल.-सी.आर.ए. मुंबई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश है कि संकल्प के आलोक में Server to Server Integration के Software में आवश्यक संशोधन किया जाय ।

7/7/21
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची